

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1962
उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद

1962 श्री हारिस बीरान:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 2026 की स्थिति के अनुसार केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्वीकृत, भरे हुए और शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनुसार कितनी-कितनी है;

(ख) उक्त विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित शैक्षणिक पदों की बैकलॉग रिक्तियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2022 से अब तक उक्त बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कितने विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं; और

(घ) सभी रिक्त आरक्षित शैक्षणिक पदों को भरने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त संगठन है और इसके तहत बनाए गए अधिनियमों तथा संविधियों, अध्यादेशों विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र और विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या आदि से जनित अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया गया है जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित लोगों के लिए सीधी भर्ती

में आरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षिक संस्थान को आरक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग विभागों के स्थान पर एक इकाई मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण संबंधी कठिनाई को दूर करता है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम द्वारा वर्ष 2019 से, सह प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर पर भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान किया गया। पूर्व में ओबीसी को केवल सहायक प्रोफेसर स्तर पर आरक्षण दिया गया था। किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित पद केवल उस विशेष श्रेणी के पात्र व्यक्तियों द्वारा ही भरे जा सकते हैं; आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई भी रिक्त पद भर्ती के अगले चक्र में उस विशेष आरक्षित श्रेणी में बैकलॉग रिक्तियों के रूप में उसके भरे जाने तक पुनः विज्ञापित किया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/रोज़गारों को सूचीबद्ध करने हेतु एक साझा मंच प्रदान करने के लिए दिनांक 02.05.2023 से एक एकीकृत भर्ती पोर्टल अर्थात् सीयू-चयन प्रारंभ किया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पात्र अभ्यर्थियों के चयन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए अपने वेबसाइट पर वर्षभर चलने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सहायक प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्य शर्त में भी ढील दी गई है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमित रूप से संस्थानों की निगरानी करते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को रिक्तियों को नियमित रूप से भरने का निदेश दिया गया है। सीयू केरल में संकाय सदस्यों की कुल संस्वीकृत पद संख्या 192 है। सितंबर 2022 में शुरू किए गए विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 9 एससी पद, 3 एसटी पद, 16 ओबीसी पद और 3 ईडब्ल्यूएस पद सहित 90 से अधिक शिक्षण पद भरे गए हैं।
